52
3:45pm

संख्याः–1498/उन्तीस(2)/16–2(29पे0)/2010टी0 सी0–1

प्रेषक,

**अर्जुन सिंह**
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**कार्यक्रम निदेशक,**
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप,
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण(उत्तराखण्ड)
117, इन्दिरा नगर, देहरादून।

**पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 25 अक्टूबर, 2017**

**विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू नॉन–ई0ए0पी0(गैर–बाह्य सहायतित) परियोजनाओं हेतु राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1468/SPMG/NGRBA/Budget/33 दिनांक 22.9.2017 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या– F.No.T-03/2015-16/1287/NMCG दिनांक 07 फरवरी,2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू नॉन–ई0ए0पी0(गैर–वाह्य सहायतित) परियोजनाओं हेतु केन्द्रांश (70 प्रतिशत केन्द्रांश) रू0 535.00 लाख के सापेक्ष 30 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 229.28 लाख(रू0 दो करोड उन्तीस लाख अठाइस हजार मात्र ) की वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय वर्ष,2017–18 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(I) योजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार के समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाय।

(II) स्वीकृत धनराशि कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण(उत्तराखण्ड) के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार में प्रस्तुत करके, यथा आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांखण्ड, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

(III) केन्द्रॉश/राज्यॉश से निर्मित योजना के कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन/भारत सरकार को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यो का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

(V) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेगे।

((VI) स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(VII) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं उक्त के क्रम में समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

2...............

(VIII) योजना इसी लागत में पूर्ण कर ली जायेगी और इसमें विलम्ब व अन्य कारणों से लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(IX) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(X) कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

2– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4215– जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01– जलपूर्ति–102– ग्रामीण जलपूर्ति–01– केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–03– गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण तथा संरक्षण कार्य–35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे" डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्याः H 1710130823 दिनांक 23 अक्टूबर,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून,2017 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या – 455 /XXVII(2)/2017 दिनांक 23 अक्टूबर,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह )
अपर सचिव

पृ0सं0 1498 (1)/उन्तीस(2)/17–2(29पे0)/2010 टी0 सी0–1 तददिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान )
संयुक्त सचिव